लोक प्रशासन के सिद्धांत

वैज्ञानिक परिवर्तन, औद्योगिकीकरण एवं शिक्षा व संस्कृति के विकास से आज न केवल लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र बढ़ा है बल्कि इसके उत्तरदायित्व में भी व्यापक बदलाव आया है। इससे लोक प्रशासन की मान्यताओं एवं कार्य क्षमताओं पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब लोक प्रशासन की भूमिका एक पुलिसमैन की न होकर एक सहयोगी की हो गयी है। इसके कार्य नकारात्मक से सकारात्मक हो गए हैं। यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन चला है। यह जन आकांक्षाओं को कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही पूरा करता है। लोक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों के मुद्दे पर प्रशासनिक चिंतकों में मतभेद है। प्रो. रूथनास्वामी के अनुसार प्रशासन के सिद्धांतों एवं विधियों अथवा मुख्य नियमों की खोज मनुष्य ने वास्तविक अनुभव द्वारा की है जो कि इस कला को व्यवहार में लाए हैं। लोक प्रशासन ने अपने निश्चित सिद्धांतों का विकास किया है, अनुभव ने यह साबित कर दिया है कि यह सिद्धांत अभ्यास के आधार पर बने हैं। लोक प्रशासन को सुनिश्चित सिद्धांतों की परिधि में नहीं रखा जा सकता है तथापि प्रशासनिक चिंतको ने इसके कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। साइमन ने लोक प्रशासन के चार सिद्धांत बताए हैं-

I. कार्य विशिष्टकरण का सिद्धांत
II. पदाधिकारियों के अधिकार स्तर को निश्चित करने का सिद्धांत
III. किसी एक केंद्र बिंदु पर प्रशासकीय सत्ता को स्थापित करने का सिद्धांत
IV. नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों के समूहीकरण का सिद्धांत

प्रो. रिचर्डॅवॉर्नर ने अधिक स्पष्टता तथा विस्तार के साथ लोक प्रशासन के आठ आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया है जो निम्नलिखित है-

I.राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत
II. लोकउत्तरदायित्व का सिद्धांत
III. सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत
IV. प्रवीणता तथा योग्यता का सिद्धांत
V. संगठन का सिद्धांत
VI. जनसंपर्क का सिद्धांत
VII. प्रगति एवं विकास का सिद्धांत

VIII. अनुसंधान का सिद्धांत

I. राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत :- लोक सेवकों को शासन में बहुमत दल की राजनीतिक इच्छाओं का आदर एवं अनुपालन करना चाहिए। लोक प्रशासन की खुद की कोई इच्छाएं और आकांक्षाएं नहीं होती है। यह लक्ष्य तो राजनेताओं द्वारा तय किए जाते हैं अर्थात राजनीतिक सत्ता लोक प्रशासन को आवश्यक निर्देश देती है। प्रशासन अपने विवेक का उपयोग उन्हीं स्थानों पर करते हैं जहां राजनीतिक सत्ता उन्हें ऐसा करने के लिए नियमानुसार अपेक्षा करती है।

II. लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत :- राजनीतिक दल जनता के बीच कार्य करते हैं। सत्ता में आने के उपरांत उनका जनता से और गहरा संबंध जुड़ जाता है। वे अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक सत्ता के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस उत्तरदायित्व के रहते लोक प्रशासन निष्पक्षता पूर्वक काम करने का प्रयास करता है।

III. सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत :- यह सिद्धांत लोक प्रशासन को समाजोपयोगी कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रशासन के लिए यह संभव नहीं है कि वह सामाजिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकें। लोक प्रशासन का कर्तव्य समाजिक विषमताओं को समाप्त करना होता है।

IV. प्रवीणता तथा योग्यता का सिद्धांत :- चूंकि लोक प्रशासन सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में काम करता है अतः उसकी इस भूमिका ने उसे अधिक दक्ष और प्रवीण बनने की प्रेरणा दी है। यदि प्रशासन प्रवीण अथवा योग्य नहीं होगा तो उसका संपूर्ण ढांचा चरमरा कर गिर जाएगा। अतः प्रवीणता तथा योग्यता के सिद्धांत ने लोक प्रशासन से यह चाहा है कि वह लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि के लिए समुचित तरीके अपनाएं क्योंकि योग्य लोकसेवक ही प्रशासन का ह्रदय होते हैं।

V. संगठन का सिद्धांत:- प्रशासन चलाने के लिए एक समुचित प्रबंधन जरूरी है। इस प्रबंधन का नाम ही संगठन है। संगठन विभिन्न विभागों के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से ही लोक प्रशासन अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा कार्य विशिष्ट करण, पदसोपान, उत्तरदायित्व तथा समन्वय की प्रक्रिया स्थापित की जाती है।

VI. जनसंपर्क का सिद्धांत:- वही लोक प्रशासन सफल कहा जा सकता है जिसे अधिकतम जनता की सहभागिता प्राप्त हो। इसके लिए जन संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो प्रशासक जन आकांक्षाओं को नहीं पढ़ सकता या उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकता वह न केवल अपनी स्थिति खराब करता है बल्कि राजनीतिक सत्ता की स्थिति भी कमजोर करता है, इसलिए लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक संपर्क का बहुत महत्व है।

VII. प्रगति एवं विकास का सिद्धांत :- लोक प्रशासन को परंपरावादी या स्थिर विचारों का होने की बजाय गतिशील होना चाहिए। बदलते हुए समाज में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना राजनेताओं की आम धारणा होती है। इसे लोक प्रशासन ही पूरा कर सकता है। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभाग या संगठन बनाकर प्रगति के पथ पर पहुंचा जाता है।

VIII. अनुसंधान का सिद्धांत :- लोक प्रशासन को विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है तथा बदलते हुए माहौल में एक ही कार्य के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे- अपराधियों को पकड़ने के लिए पहले के तरीके पुराने पड़ चुके हैं। इसके लिए लोक प्रशासन को नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। साइबर व फोरेंसिक विशेषज्ञता आज की महती आवश्यकता है। इस प्रकार अनुसंधान के सिद्धांत को अपनाकर ही लोक प्रशासन गंभीर तथा जनसमस्याओं के निराकरण में सफल हो रहा है।

साइमन के सिद्धांतों का अध्ययन एवं आलोचनात्मक विश्लेषण करने के उपरांत कतिपय विद्वान निम्न बिंदुओं को लोक प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धांत स्वीकार किए हैं-

A. शक्ति का सिद्धांत
B. आज्ञा पालन एवं अनुशासन का सिद्धांत
C.कर्तव्य एवं रूचि का सिद्धांत
D. सहयोग एवं एकीकरण का सिद्धांत
E. उत्तरदायित्व का सिद्धांत
F. पद सोपान का सिद्धांत
G. श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टकरण का सिद्धांत
H. न्याय का सिद्धांत

I. जनसंपर्क का सिद्धांत
J. निरीक्षण एवं निर्देशन का सिद्धांत
K. स्थायित्व का सिद्धांत
L. नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत
M. प्रत्याधिकरण का सिद्धांत